

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, जमालपुर।

पटना, दिनांक- 21/06/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹88.02 लाख (अठासी लाख दो हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के सभी कार्यरत शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०- 10 दिनांक- 01.06.2018 के आलोक में कुल राशि ₹88.02 लाख (अठासी लाख दो हजार रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है:-

क्र० सं०	जिला	नगर निकाय का नाम	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आकलित राशि	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	मुंगेर	नगर परिषद, जमालपुर	88,02,000.00	88,02,000.00
		योग	88,02,000.00	88,02,000.00

कुल आवंटित राशि ₹88.02 लाख (अठासी लाख दो हजार रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित राशि ₹88.02 लाख (अठासी लाख दो हजार रु०) मात्र का उपयोग नगर निकाय द्वारा अपने शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,
- कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,
- कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,
- नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,

(च) सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

3. उक्त आवंटित ₹88.02 लाख (अठासी लाख दो हजार रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक-3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।
4. उक्त आवंटित राशि ₹88.02 लाख (अठासी लाख दो हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, जमालपुर होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 एवं पत्रांक- 662, दिनांक- 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।
5. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”
7. उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में आवंटित कुल राशि ₹88.02 लाख (अठासी लाख दो हजार रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
8. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17/02/19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-18/2015

84/न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-21/02/19

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/02/19
सरकार के विशेष सचिव।

* ई-मेल
स्वीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक-2ब०/ना०सु०-03-18/2015

/न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक- 01/06/18

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के 42 नगर निकायों में सफाई व्यवस्था को सुधारने हेतु राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से कुल ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य के सभी कार्यरत शहरी स्थानीय निकायों में सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत नागरिक सुविधा मद से निम्न तालिका के स्तम्भ- 5 के अनुसार सहायक अनुदान के रूप में कुल राशि ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर निकायों का नाम	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए आकलित राशि	प्रति House Hold 100/- रु० प्रति माह की दर से छः माह के लिए स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	नालंदा	बिहारशरीफ नगर निगम	2,64,32,400.00	2,64,32,400.00
2	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम	4,14,30,600.00	4,14,30,600.00
3	कटिहार	कटिहार नगर निगम	2,11,99,800.00	2,11,99,800.00
4	सारण	नगर निगम, छपरा	1,95,51,000.00	1,95,51,000.00
योग (क)			10,86,13,800.00	10,86,13,800.00
5	पटना	नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	62,98,800.00	62,98,800.00
6	अरवल	नगर परिषद, अरवल	52,11,000.00	52,11,000.00
7	औरंगाबाद	नगर परिषद, औरंगाबाद	79,95,000.00	79,95,000.00
8	नवादा	नगर परिषद, नवादा	1,10,88,600.00	1,10,88,600.00
9	वैशाली	नगर परिषद, हाजीपुर	1,08,48,600.00	1,08,48,600.00
10	पूर्वी चम्पारण	नगर परिषद, रक्सौल	52,76,400.00	52,76,400.00
11	मधुबनी	नगर परिषद, मधुबनी	97,20,600.00	97,20,600.00
12	भागलपुर	नगर परिषद, सुल्तानगंज	73,26,000.00	73,26,000.00
13	मुंगेर	नगर परिषद, जमालपुर	88,02,000.00	88,02,000.00
14	लखीसराय	नगर परिषद, लखीसराय	1,23,96,600.00	1,23,96,600.00
15	शेखपुरा	नगर परिषद, शेखपुरा	69,59,400.00	69,59,400.00
16	खगड़िया	नगर परिषद, खगड़िया	61,11,600.00	61,11,600.00
17	सिवान	नगर परिषद, सिवान	1,34,83,200.00	1,34,83,200.00
18	किशनगंज	नगर परिषद, किशनगंज	1,27,41,000.00	1,27,41,000.00
योग (ख)			12,42,58,800.00	12,42,58,800.00

19	पटना	नगर पंचायत, विक्रम	25,02,600.00	25,02,600.00
20	कैमूर	नगर पंचायत, मोहनिया	28,71,600.00	28,71,600.00
21	भोजपुर	नगर पंचायत, जगदीशपुर	34,29,600.00	34,29,600.00
22		नगर पंचायत, कोईलवर	17,90,400.00	17,90,400.00
23		नगर पंचायत, शाहपुर	18,26,400.00	18,26,400.00
24	रोहतास	नगर पंचायत, नोखा	30,07,800.00	30,07,800.00
25	नालंदा	नगर पंचायत, ईसलामपुर	39,07,800.00	39,07,800.00
26		नगर पंचायत, राजगीर	41,10,000.00	41,10,000.00
27	औरंगाबाद	नगर पंचायत, दाउदनगर	57,87,000.00	57,87,000.00
28	नवादा	नगर पंचायत, बारसलीगंज	44,16,600.00	44,16,600.00
29		नगर पंचायत, हिसुआ	33,19,200.00	33,19,200.00
30	सीतामढ़ी	नगर पंचायत, डुमरा	22,55,400.00	22,55,400.00
31	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, मोतीपुर	33,70,200.00	33,70,200.00
32		नगर पंचायत, कांटी	34,27,800.00	34,27,800.00
33	वैशाली	नगर पंचायत, महनार	45,15,600.00	45,15,600.00
34	पू0 चम्पारण	नगर पंचायत, केसरिया	20,71,800.00	20,71,800.00
35	पं0 चम्पारण	नगर पंचायत, रामनगर	63,52,200.00	63,52,200.00
36	समस्तीपुर	नगर पंचायत, दलसिंह सराय	30,40,800.00	30,40,800.00
37	शेखपुरा	नगर पंचायत, बरबीघा	50,26,800.00	50,26,800.00
38	गोपालगंज	नगर पंचायत, बरौली	44,70,000.00	44,70,000.00
39		नगर पंचायत, कटैया	24,75,600.00	24,75,600.00
40	सुपौल	नगर पंचायत, बीरपुर	21,95,400.00	21,95,400.00
41	किशनगंज	नगर पंचायत, ठाकुरगंज	26,23,800.00	26,23,800.00
42	कटिहार	नगर पंचायत, बारसोई	30,00,000.00	30,00,000.00
योग (ग)			8,17,94,400.00	8,17,94,400.00
कुल योग (क+ख+ग)			31,46,67,000.00	31,46,67,000.00

कुल स्वीकृत राशि ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत राशि ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र का उपयोग नगर निकायों द्वारा अपने शहर की सफाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हेतु किया जायेगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:-

- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण,
- कचरा संग्रहण हेतु उपकरणों का क्रय,
- कचरे के प्रबंधन हेतु Landfill Site का क्रय/विकास,
- कचरे से कम्पोस्ट/बिजली बनाने की योजना में सहायता,
- नालों की उड़ाही, सफाई एवं सुदृढीकरण,
- सार्वजनिक स्थलों पर सफाई की विशेष व्यवस्था करने हेतु मानव बल उपलब्ध कराना।

3. उक्त स्वीकृत ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र राशि का व्यय विभागीय पत्रांक- 3910, दिनांक- 30.07.2015 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

✓

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित कोषागार से की जायेगी।

6. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० न० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

7. राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्षों के माध्यम से की जाएगी :-

(क) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में स्वीकृत कुल राशि ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 01 से 04 के सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित कुल राशि ₹1086.13800 लाख (दस करोड़ छियासी लाख तेरह हजार आठ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्यशीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघुशीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0116-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें, विपत्र कोड- 48-2217011910116, विषय शीर्ष 0116.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ख) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में स्वीकृत कुल राशि ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 05 से 18 तक के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कुल राशि ₹1242.58800 लाख (बारह करोड़ बयालीस लाख अठावन हजार आठ सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 192-नगर पालिकाओं नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष- 0105-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031920105, विषय शीर्ष- 0105.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

(ग) उपर्युक्त तालिका के स्तम्भ- 5 में स्वीकृत कुल राशि ₹3146.67 लाख (एकतीस करोड़ छियालीस लाख सड़सठ हजार रु०) मात्र में से उपर्युक्त तालिका के क्रमांक- 19 से 42 तक के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित कुल राशि ₹817.94400 लाख (पचीस करोड़ एक लाख तिरसठ हजार चार सौ रु०) मात्र

की निकासी उपबंधित मांग संख्या- 48 बजट शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष- 0104-नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें-सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217031930104, विषय शीर्ष- 0104.31.05 सहायक अनुदान- परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

8. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।
9. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि(2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- 2ब०/ना०सु०-03-18/2015 के पृष्ठ सं०-.....109...../टि० पर दिनांक-.....21.05.2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....109...../टि० पर दिनांक-.....20.05.2018 को प्राप्त है।
11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा संबंधित नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०सु०-03-18/2015) ० /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 01/06/18

प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् एवं नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार, बिहार/प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।